यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/85/2017 **दिनांक :** 26.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

कर्मचारियों से सम्बन्धित कोष से निवेश

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र पत्र संख्या 28/34/2017/34 दिनांक 24.09.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **कर्मचारियों से सम्बन्धित कोषों जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी फण्ड तथा पेंशन फण्ड से निवेश**

हम सभी जानते हैं कि एआईबीईए के निरन्तर प्रयासों और लंबे संघर्षों के कारण, विगत सात दशकों में बैंक कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार हुए हैं। सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि संगठन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं ताकि बैंकों में अपने सेवाकाल में उनके मुख्य जीवनकाल को बिताने के बाद बैंकों से सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित तथा सम्माननीय जीवन जीने के लिए कर्मचारियों को सक्षम बनाया जा सके।

1949 में के सी सेन न्यायाधिकरण के सम्मुख, एआईबीईए तथा हमारी सभी यूनियनों की ओर से ये महत्वपूर्ण माँगें थीं। सेन अवार्ड के समय से ही, एआईबीईए ने इन सेवानिवृत्ति लाभों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। 1993 का पेंशन समझौता तथा 2010 में हस्ताक्षरित पेंशन के लिए एक और विकल्प का समझौता ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं।

चूंकि ये लाभ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर देय हैं, फण्ड को ट्रस्ट खातों में अलग से रखा जाता है। इन फण्ड में उपलब्ध धन का अनुमोदित प्रतिभूतियों में सरकारी निर्देश के अनुसार निवेश किया जाता है और इन निवेशों पर लाभांश इन फण्ड की वित्तीय स्थिति बढ़ाने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

प्रहरी की भूमिका निभाने के लिए, हमारी यूनियनों के प्रतिनिधियों को सभी बैंकों में इन ट्रस्ट में न्यासियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। हमारे न्यासी को एक महत्वपूर्ण और सतर्क भूमिका निभानी है जिससे कि ट्रस्ट फण्ड को उचित प्रकार से रखा और निवेश किया जा सके और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

जारी पृष्ठ 2

हाल ही में, हमें एक अनुभव प्राप्त हुआ जहाँ कि बैंक की पेंशन फण्ड से फण्ड को अपरिवर्तनीय प्रतिभूत डिबेंचर के रूप में एक निजी कम्पनी में निवेश किया गया था।

उसी निजी कम्पनी को बड़े ऋण भी (लगभग रू0 14,000 करोड़) उस बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा दिए गये थे। इसके बजाए, यह कहा जाना चाहिए कि कम्पनी जिसे ऐसे बड़े ऋण के साथ अनुगृहीत किया गया था उसे कर्मचारी पेंशन निधि से इस निवेश के साथ भी अनुगृहीत किया गया था।

यह खाता एनपीए हो गया है और नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के सम्मुख 12 प्रमुख खातों में से एक है। जाहिर है, डिबेंचर बॉन्ड में निवेश भी एक मृत निवेश और एनपीए हो गया।

चूंकि बैंक का पेंशन फण्ड एक निवेशक है और इसलिए ऋणदाता है, इन्सॉलवेंशी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने पेंशन फण्ड से अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न तो बैंक का ऋण वापस आयेगा न ही पेंशन फण्ड को देय धन के वापस आने की कोई सम्भावना है। आरबीआई ने पहले ही संकेत दे दिया है कि बैंकों को गंभीर सजावटी छंटनी के लिए तैयार रहना चाहिए और इन खातों के लिए प्रावधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए न तो फण्ड को पैसा वापस मिलेगा और न ही एनसीडी बांड पर ब्याज मिलेगी।

इसलिए हमारी यूनियनों तथा विशेष रूप से, कर्मचारी–संबंधित फण्ड/ट्रस्टों में हमारे न्यासियों को सावधान, सतर्क और जागरूक रहना चाहिए ताकि प्रबन्धन द्वारा ऐसे निवेश करने से बचा जाना सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी निजी कम्पनियों में किसी निवेश की अच्छी तरह से छानबीन तथा उनकी क्रेडिट रेटिंग, प्रतिष्ठा, आदि के बारे में सत्यापित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि हमारे न्यासी इससे सहमत हों। हमें ऐसे निवेशों पर सूचित निर्णय लेने से पहले सभी विवरणों की माँग करनी चाहिए।

शीघ्र ही हम इस तरह की आकस्मिकताओं, निवेशों पर सहमत होने के लिए सावधानी बरतने, आदि को समझने के लिए तथा हमारे न्यासियों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न बैंकों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा पेंशन फण्ड के हमारे न्यासियों की एक बैठक का आयोजन करेंगें।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री